SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Against whom is the inquiry, the architects, the contractor or the officials of the Corporation ?

DR. SAROJINI MAHISHI : It was very difficult to come to any conclusion. At that time, in 1964, when the engineering manager found that the work was not carried on according to the estimates and conditions, he found that the whole thing was sagging. He immediately ordered stoppage of work. Whether the architect was at fault or the contractor was at fault, was not decided. The architect said that the contractor was at fault because he said the contractor ought to have assembled the boom on the ground ; the contractor said that the architeet had not mentioned in his condition that it ought to have been assembled on the ground. The architect said that this was implied and taken for granted that the whole boom should be assembled on the ground.

Therefore, the thing is still there. It has not been decided. Whether it is faulty fabrication, whether it is defective design—all these things are still there. The report has been submitted and it has been under consideration.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : It was specifically recommended that action should be taken against the engineers. It is in the report.

MR. SPEAKER : She has taken so much of pains to explain it.

DR. SAROJINI MAHISHI : The whole thing cannot be justified. It has entailed inordinate delay. I myself feel sorry for the whole episode. Whether tbe architect is at fault, whether the contractor is at fault or the management also is at fault in regard to supervision—all these things are there.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Sir, tbe report was submitted in 1964 ; eight years have passed. How long will the Government take to decide it ?

MR. SPEAKER : She was not the Minister at that time !

DR. SAROJINI MAHISHI : The departmental enquiry is complete, and I think some action will be taken.

MR. SPEAKER : Shri Piloo Mody.—Absent.

SOME HON. MEMBERS : Not present.

MR. SPEAKER : He is commenting all the time, but when his turn comes, he is not there.

Granting of Loans by Banks to Small Farmers and Small Scale Industaialists in Rural Areas

*803. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR :
SHRI DHAN SHAH PRADHAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that the banks in the rural areas are not granting loans to the small farmers and small scale industrialists ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to ensure the smooth availability of loans to the needy and simplification of the procedural formilities in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SARIMATI SUSHILA ROHATGI) : (a) Despite the liberalised policy of commercial banks in regard to lending to small borrowers, which includes small farmers as well as small-scale industrialists, complaints do come up from time to time alleging that credit requirements of small borrowers are not receiving adequate attention.

(b) The banks have been taking several steps to improve the situation by strengthening their organisational machinery as also by simplifying their procedures, such as simplification of forms, arranging visits to the borrowers for appraisal of loan applications, decentralisation of powers to bank

Agents etc. Government have also taken up with the State Governments, and many of them have agreed, to grant concessions in stamp duty and registration fees and simplify the procedures regarding legal documentation etc.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : May I ask whether there are specific instructions to help the small-scale industries and the farmers for getting these loans, especially now that she has promised the liberalisation of the policy ; and also in regard to the steps she proposes to take regarding the simplification of procedures, may I ask whether there is an item called the security item, and that anybody who wants to get a loan has to show that he has wealth or landed property, and if so, may I know if it does not stand in the way of the smooth liberalisation of policy and if it does no create difficulties for the farmers, especially those who have no property, to get loans ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : It is not that we have promised to liberalise the policy. As a matter of fact, steps have been taken, and they are being implemented.

As regards the security point of view, we have to understand the basic changes in the concept of the banking industry. Previously, the banking industry came into operation when the people had to satisfy certain things and there was to be a dependability of security. Now, it is the soundness of the project, the objective of the project, the feasibility of the project and the integrity of the borrower. These really count now, rather than the industry and the security.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : What is meant by the integrity of the borrower and the soundness of the project ? Who is to determine them, and what is the criterion ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Certain projects have a number of risks involved in them. There are projects which are new and which the entrepreneur has not worked upon. There also projects where the profitability cannot be worked out by the banks. In such cases, the security is necessary, whether it be in the form of safeguards and hyhothecation ; or if it be a life policy in certain cases the security is necessary. Otherwise, as in the case of crop loans, no security is required at all.

श्री धनशाह प्रधान: अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 5000 रुपये तक के ऋण छोटे किसानों को व्यक्तिगत जमानत पर किसान, हरिजन और आदिवासियों को मिल सकें, ऐसी क्या कोई व्यवस्था है, या कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं अथवा करने जा रहे है यदि नहीं, तो सरकार को उस में क्या दिक्कत है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: इस प्रश्न के पहले ही उत्तर में मैंने कहा कि क्रॉप लोन के लिये 5,000 रु० तक देने की व्यवस्था है। यह कोई नई योजना नहीं है। जो योजना चालू है उस में 5,000 रु० तक का लोन दिया जा सकता है और यह छोटे किसानों और हरिजनों को मिलता है। इस में कोई सिक्योरिटी जरूरी नहीं समझी जाती।

श्री बी. पी. मौर्य: आज जो छोटे उद्योग गांवों मे होते हैं उन में गिरावट की वजह से शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। इस समस्या को सामने रखते हुए, छोटे किसानों और देहातों में पनपने वाले छोटे उद्योगों के बारे में जो आप की नीति है वह कब तक साफ हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय: जो शिकायतें आई है उन के बारे में यह प्रश्न है। अगर आप को और ज्यादा इन्फार्मेशन लेनी है तो आप अलग से नोटिस दीजिये। जो यह सवाल है वह इस शक्ल में है:

"Whether Government have received complaints that the banks in the rural areas are not granting loans"

अगर आप इस से ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो अलाहदा सवाल कीजिये।

श्री बी. पी. मौर्य: जितना सवाल मेरा इस प्रश्न के अन्दर आता है उस का ही जवाब दिलवा दीजिये मैं जितना ज्यादा चला गया हूं उस को छोड़ दीजिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: यह प्रश्न बहुत व्यापक है, लेकिन यदि आप आज्ञा देते हैं तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं। माननीय सदस्य जो छोटे किसानों के बारे में रुचि दिखलाई है वास्तव में वह चीज बहुत गम्भीर है। सरकार की सारी नीति इस पर आधारित है ज्यादा से ज्यादा मदद छोटे किसानों को दी जाये। यदि आप देखें तो हाल में जितनी भी बैंकों की ब्रांचें खोली गई हैं उन में से 65 प्रतिशत गांवों में खोली गई हैं। इस के अतिरिक्त नये कदम भी उठाये गये हैं। मैं यह बतला दूं कि कि जो हमार नई योजनायें हैं, जैसे क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन बनाया गया है, वह इसी लिये बनाया गया कि छोटे छोटे किसानों को जो रुपया दिया जाता है उस में अगर लास हो जाता है तो उस का 75 प्रतिशत रि-एम्बर्स किया जाता है। इसी तरह से विलेज एडाप्शन स्कीम है। यह भी छोटे किसानों के लिये ही बनाई गई है। पता नहीं माननीय सदस्य की इस में रुचि है या नहीं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कदम अवश्य उठाये हैं।

SHRI JYOTIRMOY BOSU : In the matter of granting of loans by banks to small farmers and small industrialists and agriculturists in the rural areas. Is it a fact that their advances to this sector grew only by 22.7 per cent as against 23.6 per ceut in the previous year, which meant a decline of 0.9 per cent, and in absolute terms priority sector advances in 1971 rose by only Rs. 76.8 crores while the total advances by these banks increased by Rs. 497.4 crores ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : So far as the decline in the rate of growth is concerned. I do admit that there has been a slight decline in the rate of growth but so far as the amount outstanding and the number of accounts are concerned, there has been a definite increase. I will quote for his information that in June 1969 the number of accounts stood at 1,71,880 which rose to 8,05,639 in 1971 and which in December 1971 stood at 8,90,580. This does not show a decline. The same stands with regard to the amount outstanding which was Rs. 38 crores in June 1969 and which shot up to Rs. 197.40 crores in June 1971, and December 1971 stood at Rs. 218.26 crores. This is certainly not a decline either. But there has been a slight decline in the rate of growth.

श्री सत्य चरण बेसरा: सन्थाल परगना के नान-कल्टिवेबल कलैंड के किसानों को बैंक से ऋण नहीं दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन लोगों को ऋण दिलाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय : आप का सवाल बहुत जनरल है। अगर किसी खास इलाके के बारे में पूछना हो तो उस के लिये नोटिस दीजिये।

कुमारी कमला कुमारी: हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 200 या 300 रिक्शेवाले होते हैं। क्या उन को बैंकों से 500 रु० तक ऋण दिया जायेगा जिस से वह स्वयम् रिक्शा खरीद कर उन को चला सकें? आज कल तो वह भाड़ा पर रिक्शा लेकर चलाते हैं। क्या इस के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है

श्रीमती सुशीला रोहतगी: यह जो सुझाव दिया गया है इस पर हम अवश्य विचार करेंगे।

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल: मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि बहुत से छोटे छोटे किसानों को ऋण दिया गया है। मेरा कहना यह है कि जो गांवों के लोग हैं, ग्रामीण किसान हैं या छोटे उद्योग वाले हैं उन को कोई ऋण नहीं दिया जाता है। बैंक वाले बेकार उन से चक्कर लगवाते रहते हैं। उन को इस से काफी परेशानी होती है इस के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि उन को लोन मिल सके। मेरा ऐसा

विचार है कि जो बैंक गांवों में खोले गये हैं उन के जरिये से किसानों को लोन नहीं दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय: इसी का जवाब तो वह इतनी देर से दे रही हैं । इसी का झगड़ा चल रहा है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय: अभी अभी प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बतलाया कि कानून की प्रक्रिया में हम कुछ सुधार करने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हू कि वह कौन से सुधार आप करने जा रहे हैं । क्या यह बात सही है कि जब ऋण दिया जाता है तो उस को देते समय यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति ऋण लेता है वह किस दल से सम्बन्धित है और इस को ध्यान में रख कर ऋण दिया जाता है । साथ ही ऋण देने में काफी समय लग जाता है । महीने, दो महीने चार महीने तक बैंक का चक्कर काटना पड़ता है और वहां जो एजेंट बैठे होते हैं वह उन से कमिशन लेते हैं । जब वह लोग कमिशन पा जाते हैं तब लोन मंजूर होता हैं । में जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सत्य है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: माननीय सदस्य का पहला प्रश्न जो दलगत नीति से सम्बधित है मेरा खयाल है कि श्री कछवाय कभी कभी अपनी दलीय राजनीति से ऊपर उठ करे विचार किया करें । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उस में बिलम्ब हुआ है और यह स्वयम् उन्होंने माना है । इस के दो कारण है । एक तो यह है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब सारे कदम उठाये गये कि जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा विस्तार हो सके उतना किया जाये और ग्रामीण लोगों को रुपया दिया जाये । साथ में यह आवश्यक्ता समझी गई कि रिकवरी प्वाइंट आफ व्यू से कि यह देखा जाय कि वह यूटिलाइज हो रहा है या नहीं । इस लिये ऋण देने के पहले सिक्योरिटी करने के लिये और बाद में उस को सुपरवाइज करने के लिये सारी चीजें देखना आवश्यक हो गया । इस में थोड़ा सा समय लग जाता है । इस के अतिरिक्त बिलम्ब का कोई खास प्रश्न नहीं है

श्री हुकम चन्द कछवाय: मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि कानून की प्रक्रिया में वह परिवर्तन करने जा रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से परिवर्तन करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय: वह तो उन्होंने शुरू में ही कहा । आप उन का स्टेटमेंट देख लें, आप को परिवर्तन ही परिवर्तन मिलेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री: मैं जानना चाहता हूं कि 1971 के एक साल के अन्दर आप ने जितना टोटल कर्जा दिया है उस में कितने प्रतिशत छोटे किसानों तक गया और कितने प्रतिशत छोटे उद्योग-धन्धे चलाने वाले व्यवसायियों को दिया गया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: यह प्रश्न पिछली दफा भी पूछा गया था । अगर छोटे किसान और छोटे उद्योग से आप का मतलब नेगलेटेड सेक्टर से है तो पूरे नेगलेक्टेड सेक्टर का प्रतिशत, जिस में कृषि भी आती है और छोटे छोटे छोटे उद्योग भी आते हैं, 23 प्रतिशत होता है ।

अध्यक्ष महोदय: मैं तीन चार के बजाय आठ नौ मेम्बरों को अलाऊ कर चुका हूं । लेकिन अभी भी काफी मेम्बर सप्लिमेंट्री करने के लिये खड़े हुए हैं । बेहतर यह होगा कि या तो आप इस पर बहस करा लीजिये या आधे घंटे का डिस्कशन करा लीजिये । मैं उस को अलाऊ कर दूंगा ।